

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-३/निदे०आ० वि० (नि/जीर्णो)-४५-०९/२०१५- ११६

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- ११-०१-१८

विषय :-वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में राज्य स्कीम के अन्तर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-१५८४/जि०क० दिनांक-०७.१२.२०१७ के द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के अनुसार औरंगाबाद जिलान्तर्गत अवस्थित राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, औरंगाबाद के मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य कराने हेतु कुल ₹२७,१२,५००.०० (सताईस लाख बारह हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :-स्वीकृत।

२- प्रस्तावित राशि वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में राज्य स्कीम मद के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-०३ के अन्तर्गत बजट शीर्ष "४०५९- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-०१-कार्यालय भवन-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना- ०१०१-अनुसूचित जाति के भवन-विषय शीर्ष-०१०१.५३.०१-मुख्य निर्माण कार्य-विपत्र कोड-०३-४०५९०१७८९०१०१ से राशि विकलनीय होगा। व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

३- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-२५६१ दिनांक १७-४-१९९८ तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

४- स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

५- निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा।


६- इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय-समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

७ - इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

८ - इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

९ - कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


१०-१-१८
(प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक- 3/निदे0आ0 वि0 (नि/जीर्ण0)-45-09/2015- 116 पटना,दिनांक- 11.01.18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) प्रमंडलीय आयुक्त, गया/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग /जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद /उप निदेशक, कल्याण, गया /जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद/संबंधित कार्यपालक अभियंता, औरंगाबाद, भवन निर्माण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


10-1-18
सरकार के सचिव।

सरकार के सचिव।